UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 7.0 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 15, No. 2 Year - 15 February, 2024

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 7.0
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 15, No. 2, February 2024 ISSN : 0976-6650

अनुक्रमणिका

↳	प्रेमचंद और दलित–विमर्श **डॉ० एस०बी०एन० तिवारी**	1-4
↳	Micro Finance as a Financing Tools for Micro Enterprises **Tapas Ranjan Roy**	5-10
↳	भाषा का जैविक व सामाजिक आधार **डॉ0 तस्मीना हुसैन**	11-14
↳	मूल्यों का नवप्रवर्तन : भारत में नैतिक प्रगति में समाचार मीडिया प्रकटीकरण और संचार की भूमिका की खोज **नेहा अनमोल जावळे**	15-17
↳	धनबाद के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की रूचि का अध्ययन (सामाजिक–आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में) **विजय कुमार राम**	18-20
↳	सृजन के फूल **डॉ0 प्रमोद कुमार पाण्डेय**	21-25
↳	भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के संवैधानिक एवं सरकारी योजनाएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन **श्यामकली**	26-32
↳	उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की कोचिंग के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन **डॉ0 शिवम सक्सेना, मोहम्मद आरिफ एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	33-36
↳	कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की सामाजिक वंचना के स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन **महेश चंद जाटव, नितेन्द्र कुमार शर्मा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	37-38
↳	सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता एवं नारी समानता के स्तर का अध्ययन **विष्णु कुमार शर्मा, डॉ0 शशि मिश्रा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	39-41
↳	विद्यालयों में शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन **जयसिंह जाटव, ज्योति कश्यप एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	42-44
↳	राजस्थान के फड़ चित्रों की लोकप्रियता **स्मिता जायसवाल एवं डॉ0 जया जैन**	45-48
↳	मानवेंद्र नाथ राय की नव मानववाद एवं वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता **विकाश कुमार निराला**	49-52
↳	बुद्ध युग में शिक्षक शिक्षा एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता **डॉ0 राजन कुमार त्रिपाठी**	53-55
↳	माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में नए सीसीई पैटर्न के अनुसार पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों में मानसिक परिवर्तन एवं सीखने में परिवर्तन का अध्ययन **श्रीमती मुकेशी बाई मीना, श्रीमती पिंकेश मुद्गल एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	56-58

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 7.0
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 15, No. 2, February 2024 ISSN : 0976-6650

विद्यालयों में शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

जयसिंह जादव
कम्प्यूटर अनुदेशक, वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राज0)
ज्योति कश्यप
सहायक आचार्य, वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुंकेशन, पदेवा, करौली (राज0)
डॉ0 मनोज कुमार शर्मा
प्राचार्य, वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राज0)

सारांश

वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था में अनुशासन तो है लेकिन यदा–कदा छात्र–छात्रओं द्वारा इसका उल्लंघन भी देखने को मिलता है। प्राचीन समय में इसके लिए कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान था। परन्तु वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को दण्ड का प्रावधान नहीं है। परन्तु छात्र–छात्रा अज्ञानतावश व कई बार जानबूझकर अनुशासनहीन व्यवहार कर देते है। जिससे उन्हें दण्ड देना भी आवश्यक हो जाता है।

शोध अध्ययन हेतु आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया शोध कार्य में जनसंख्या के रूप में दो सरकारी व दो गैर–सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया जो माध्यमिक स्तर के थे। जनसंख्या में से यादृच्छिक न्याय दर्शन द्वारा न्यादर्श के रूप में इन चार विद्यालयों में से 50–50 छात्र–छात्राऐं, 20–20 महिला एवं पुरूष शिक्षक व संबंधित विद्यालयों में से संबंधित अभिभावकों को 15–15 के अनुपात में चयन कर कर कुल संख्या 30 रखी गई। शोध उपकरण के रूप में दो स्वनिर्मित अभिमत प्रश्नावली (शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए) साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए) का प्रयोग किया गया। आंकडों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रतिशत प्राप्तांको का उपयोग किया गया। पुरूष शिक्षक, महिला शिक्षक व छात्र–छात्राओं के मत एवं उनकी तुलना तथा अभिभावकों की राय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा दण्ड को सीमित करने व उसमें लचीलापन लाने हेतु आवश्यक प्रयत्न किये जा सकते है। शारीरिक, आर्थिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है एवं शिक्षकों के पर्याप्त प्रशिक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक दण्ड ही प्रभावी है। शैक्षिक प्रक्रिया को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित चलाने विद्यालय वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए विद्यार्थियों को दण्ड देना उचित है लेकिन दण्ड पर्याप्त एवं आवश्यक परिस्थिति में ही दिया जाये।

प्रस्तावना

राष्ट्र की उन्नती में शिक्षा का योगदान अनिवार्य है। शिक्षा रूपी माध्यम के द्वारा हम सुखद समृद्ध एवं प्रगतिशील राष्ट्र की संरचना कर सकने में सक्षम होते हे। शिक्षण प्रक्रिया (अध्ययन–अध्यापन) में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक एवं अभिभावक अनुशासन को बनाये रखने के लिए विभिन्न तरीकों को उपयोग करते है। जिससे विद्यालय, कक्षा–कक्ष एवं घर का वातावरण स्वच्छ एवं अनुशासित बना रहे।

वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था में अनुशासन तो है लेकिन यदा–कदा छात्र–छात्रओं द्वारा इसका उल्लंघन भी देखने को मिलता है। प्राचीन समय में इसके लिए कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान था। परन्तु वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को दण्ड का प्रावधान नहीं है। परन्तु छात्र–छात्रा अज्ञानतावश व कई बार जानबूझकर अनुशासनहीन व्यवहार कर देते है। जिससे उन्हें दण्ड देना भी आवश्यक हो जाता है।

वर्तमन समय में विद्यालयों के अंतर्गत दण्ड व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कर दिया है। इन सबके बाबजूद समय–समय पर समाचार पत्रों मे अनुशासनहीनता की घटनाऐं पढने एवं सनने में आती रहती है। इसी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या दण्ड दिया जाना आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो दण्ड कितना और किस प्रकार का दिया जाना चाहिए। जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे और शिक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 15, No. 2, February 2024 ISSN : 0976-6650

दण्ड देना एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। जिसका प्रयोग छात्रों को अनुचित कार्यो से विमुख करने के लिए किया जाता है। इस विषय में प्रसिद्ध समाजशास्त्री थॉम्पसन का कथन है कि दण्ड अवांछित कार्यो के साथ दुःखद भावना को संबंधित करके अवांछित कार्यो को रोकने का साधन है। यहां पर शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोंण को जानने/समझने का प्रयास किया गया है।

शोध समस्या कथन

"विद्यालयों में शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।"

शोध उद्देश्य

- महिला एवं पुरूष शिक्षकों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- छात्र एवं छात्राओं का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- अभिभवकों का दण्ड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अध्ययन में प्रयुक्त परिभाषित शब्दों की व्याख्याः

विद्यालय

वह स्थान जहां पर शिक्षक एवं शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एकत्रित होते है एवं नियमित रूप से निश्चित समय के लिए अध्ययन–अध्यापन का कार्य करते है।

दण्ड

दण्ड से तात्पर्य विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कष्टप्रद स्थिति में रखा जाना जिससे कि वह उन कार्यो को करने से बचे जो उपयुक्त नहीं है।

शिक्षक

'शिक्षक' शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो विद्यालयों में छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा देने का कार्य करता है।

अभिभावक

यहां अभिभावक से तात्पर्य विद्यालयों में अध्ययरत छात्र–छात्राओं के माता–पिता अथवा संरक्षक से है।

विद्यार्थी

विद्यार्थी से तात्पर्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं से है। जिनका कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करते है। इसके लिए उन्हे सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है।

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण से तात्पर्य शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का दण्ड के प्रति सोच, विचार एवं उनका नजरिया किस प्रकार का है, वे इसके पक्ष में है या नहीं अगर है तो किस प्रकार, किस सीमा तक।

शोध अध्ययन का प्रारूप

शोध अध्ययन हेतु आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया शोध कार्य में जनसंख्या के रूप में दो सरकारी व दो गैर–सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया जो माध्यमिक स्तर के थे। जनसंख्या में से यादृच्छिक न्यादर्शन द्वारा न्यादर्श के रूप में इन चार विद्यालयों में से 50–50 छात्र–छात्राऐं, 20–20 महिला एवं पुरूष शिक्षक व संबंधित विद्यालयों में से संबंधित अभिभावकों को 15–15 के अनुपात में चयन कर कर कुल संख्या 30 रखी गई। शोध उपकरण के रूप में दो स्वनिर्मित अभिमत प्रश्नावंली (शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए) साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए) का प्रयोग किया गया। आंकडों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रतिशत प्राप्तांको का उपयोग किया गया।

अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषणः–

तालिका सं. 01 : दण्ड के प्रमुख क्षेत्रों (प्रकारों) के प्रति पुरूष एवं महिला शिक्षकों का अभिमत

क्र.सं.	दण्ड के घटक	पुरूष शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	महिला शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
1	शारीरिक दण्ड	22	55	24	60
2	समाजिक दण्ड	32	80	38	95
3	मनोवैज्ञानिक दण्ड	34	85	34	85
4	आर्थिक दण्ड	30	45	32	80
5	मानसिक श्रम दण्ड	24	60	22	55

तालिका सं. 02 : दण्ड के प्रमुख क्षेत्रों (प्रकारों) के प्रति छात्र–छात्राओं का अभिमत

क्र.सं.	दण्ड के घटक	छात्रों की संख्या	प्रतिशत	छात्राओं की संख्या	प्रतिशत
1	शारीरिक दण्ड	49	98	45	90
2	समाजिक दण्ड	49	98	46	92
3	मनोवैज्ञानिक दण्ड	39	78	43	86
4	आर्थिक दण्ड	38	76	33	66
5	मानसिक श्रम दण्ड	23	46	22	44

उपरोक्त सारणी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शारीरिक दण्ड के प्रति 60 प्रतिशत महिला शिक्षक एवं 55 प्रतिशत पुरूष शिक्षक मत व्यक्त करते है जबकि 98 प्रतिशत छात्र एवं 90 प्रतिशत छात्राऐं इस मत में है। सामाजिक दण्ड के मत में पुरूष शिक्षक 80 प्रतिशत है वहीं महिला शिक्षक 95 प्रतिशत है। जबकि 98 प्रतिशत छात्र व 92 प्रतिशत छात्राऐं सामाजिक दण्ड के मत में है। मनोवैज्ञानिक दण्ड के पक्ष में पुरूष शिक्षक 85 प्रतिशत महिला शिक्षक 85 प्रतिशत, छात्र 90 प्रतिशत व छात्राऐं 86 प्रतिशत है। आर्थिक दण्ड के पक्ष में पुरूष शिक्षक 75 प्रतिशत महिला शिक्षक 80 प्रतिशत्त, छात्र 76 प्रतिशत व छात्राऐं 66 प्रतिशत है। मानसिक श्रम दण्ड के प्रति 60 प्रतिशत पुरूष शिक्षक, 55 प्रतिशत महिला शिक्षक, 46 प्रतिशत छात्र व 44 प्रतिशत छात्राओं का अभिमत है।

दण्ड के प्रमुख क्षेत्रों (प्रकारों) के प्रति अभिभावकों का अभिमत

- विद्यालय से किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में जानकारी ली गई तो 70 प्रतिशत अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की विभिन्न सूचनाऐं विद्यालय से शिकायत संबंधी आती है जबकि 30 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार इस प्रकार की सूचनाऐं नहीं आती है।
- विद्यालयी दण्ड से संबंधित पूछा गया तो 85 प्रतिशत अभिभावक विद्यालयों में विद्यार्थियों को दण्ड दिये जाने से सहमत है अगर दण्ड आवश्यक एवं उचित हो तो। जबकि 15 प्रतिशत अभिभावक दण्ड देने से बिल्कुल सहमत नहीं है।

शोध से प्राप्त निष्कर्षः–

पुरूष शिक्षक, महिला शिक्षक व छात्र–छात्राओं के मत एवं उनकी तुलना तथा अभिभावकों की राय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा दण्ड को सीमित करने व उसमें लचीलापन लाने हेतु आवश्यक प्रयत्न किये जा सकते है। शारीरिक, आर्थिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है एवं शिक्षकों के पर्याप्त प्रशिक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक दण्ड ही प्रभावी है। शैक्षिक प्रक्रिया को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित चलाने विद्यालय वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए विद्यार्थियों को दण्ड देना उचित है लेकिन दण्ड पर्याप्त एवं आवश्यक परिस्थिति में ही दिया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. ढौढियाल, एस., फाटक, ए. (2003): ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
2. गुप्ता, एस.पी., अल्का (2007): ''उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान'', शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद
3. नाटानी, पी. नारायण (2000): ''सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण'', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर